न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 22/2020

प्रार्थीया	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
सोहनीदेवी पत्नी श्री सहीराम जाति वि”नोई निवासी लाम्बा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. भेराराम पुत्र श्री मंगाराम जाति वि”नोई, निवासी लाम्बा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 2. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलाड़ा 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– प्रार्थीया की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री पदमाराम चौधरी एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

अप्रार्थी संख्या 3 सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :–**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम लाम्बा, तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 959 रकबा 1.0517 हैक्टेयर आई हुई है जिसके खाता संख्या 931 है। उक्त खसरे की भ्मि प्रार्थीया की खातेदारीसुदा व कब्जाका”तसुदा भूमि है। जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थीया द्वारा का”त हेतु व रहवास हेतु लिया जा रहा है। प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 959 के पूर्व दि”ाा की ओर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारीसुदा भूमि खसरा नम्बर 954 रकबा 2.6477 हैक्टेयर स्थित है, जिसके खाता संख्या 614 है। उक्त भूमि का विक्रेता राधाकि”ान पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम लाम्बा व अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्वजों द्वारा आज से लगभग 45–50 वर्ष पूर्व [illegible] की [illegible]री व प”चमी माठ के सहारे–सहारे खसरा नम्बर 954 की भूमि में से लगभग 30 [illegible] चौ[illegible] रास्ता खसरा नम्बर 959 की भूमि में आने जाने हेतु आपसी सहमति से कायम किया, जिसे [illegible] राधाकि”ान के पूर्वजों द्वारा व उनके मृत्यु

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:27 IST
Reason: SelfAttested

उपरान्त राधाकि”ान द्वारा व वर्ष 2008 में खसरा नम्बर 959 की भूमि प्रार्थीया द्वारा खरीद करने के बाद प्रार्थीया द्वारा उपयोग व उपभोग में लिया जा रहा है। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्”ाा में मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. से दर्”ाित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 954 के उतर पूर्व दि”ाा की ओर खसरा नम्बर 939/1 किस्म गै.मु. रास्ता आया हुआ है जो सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जिसके खाता संख्या 999 है। उक्त रास्ता ग्राम लाम्बा से मतवालों की ढाणी की ओर जाता है। उक्त गै.मु. रास्ता से प्रार्थीया गै.मु. रास्ता के दक्षिण–पर्”िचम दि”ाा में स्थित अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 954 के उतर पूर्व दि”ाा में स्थित रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. से होकर प्रार्थीया अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 959 में पहुचती है व आती जाती है। प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 959 में का”त कार्य करने हेतु अपनी भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 954 के मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. की भूमि में से होकर गुजरना पड़ता है और यही भूमि यानि मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. भूमि ही प्रार्थीया की खातेदारो भूमि खसरा नम्बर 959 में आने जाने हेतु एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है। इसके अलावा और कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। भूमि खसरा नम्बर 954 के मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. भाग से ही प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 959 में आने जाने हेतु अपना ट्रेक्टर, मोटरसाईकिल, छकड़ा व अन्य साधन तथा मवे”ाी इत्यादि को लेकर आती–जाती है। अतः प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 954 के मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. भाग के रास्ते को 8–10 वर्षो से उपयोग व उपभोग में लेती आ रही है। जिसका नजरी नक्”ाा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। भूमि खसरा नम्बर 954 के मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. भाग पर निकलने वाला रास्ता, जो खसरा नम्बर 959 में पहुचता है, जिसमें किसी भी प्रकार की दखल व अवरोध करने का अप्रार्थी संख्या 1 को कोई अधिकार नही है, फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 954 में स्थित उक्त रास्ते की भूमि को आज दिनांक 16.12.2020 से 10–12 दिन पूर्व ट्रेक्टर से खड़ाई कर उक्त मार्कसुदा रास्ते को भी खुर्द बुर्द कर दिया है तथा उक्त मार्कसुदा रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 954 की उतरी माठ की ओर स्थित सीमा को रेत की माठ व उस पर पत्थर खड़े कर व तारबन्दी कर बंद कर दिया है। जिसके कारण प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 959 में आने जाने हेतु काफी समस्याओं व परे”ाानियों का सामना करना पड़ता है व अपनी उक्त खातेदारी भूमि में का”त कार्य से भी वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थीया का जीवनयापन का एकमात्र साधन कृषि है। का”तकार्य से वंचित होने के कारण प्रार्थीया का जीवन निर्वाह करना भी मुर्”िकल हो गया है, जिसकी वजह से प्रार्थीया को अपूर्णनीय हानि हो रही है। प्रार्थीया का मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. रास्ता आत्यंतिक आव”यकता का मार्ग है। इस कारण प्रार्थीया को अप्रार्थी के विरुद्ध खसरा नम्बर 954 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. रास्ता को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पे”ा किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्”ाा को प्रार्थना पत्र का अंगसुमार कर पढा जावे। अन्त में प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के पद संख्या 8 (क)(ख)(ग) में वर्णितानुसार अनुतोष चाहा है।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आ”ाय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 3 से तथ्यात्मक जॉच रिपोट हेतु अलग से तहरीर जारी की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री पदमाराम चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब पे”ा किया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजुद नोटिस तामिल उपस्थित नही, इसलिए अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पे”ा किया गया। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 954 रकबा 2.8477 हैक्टेयर के उतर पूर्व दि”ाा की ओर खसरा नम्बर 939/1 किस्म गै.मु. रास्ता आया हुआ ह जो राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से दर्ज है। उक्त रास्ता ग्राम लाम्बा से मतवालों की ढाणी की ओर जाता है, यही रास्ता आगे प्रार्थीया के पडौसी खेत खसरा नम्बर 958 के पास जाता है तथा दुसरा खसरा 960 के पास जाने के लिए भी यही रास्ता है वहा से प्रार्थीया जा सकती है। खसरा नम्बर 958 के पास रास्ता होने पर प्रार्थीया 958 के खसरा के मेड़ के सहारे सहारे जा सकती है। प्रार्थीया के आने–जाने का रास्ता कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में से नही था। अत रास्ता को खुर्द बुर्द करने का प्र”न ही उत्पन्न नही होता है। प्रार्थीया अप्रार्थी के खेत के टुकड़े करवाना चाहती है। प्रार्थीया के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, उसी रास्ते से प्रार्थीया अपने खेत में जा सकती है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 960 में जाने के लिए कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 962 के मध्य से जाता है, उस रास्ते का उपयोग भी प्रार्थीया के द्वारा किया जा सकता है। खसरा नम्बर 958 व 960 को रास्ते की जरूरत नही है। प्रार्थीया अपने पड़ौसी खसरा नम्बर 958 व 960 द्वारा उपयोग में लाने जाने वाले रास्ते का उपयोग पूर्व से कर रही है। प्रार्थीया के पास खसरा नम्बर 958 में आने–जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

तहसीलदार बिलाड़ा ने विवादित भूमि की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्”ाा, नक्”ाा ट्रेस की प्रति, संबधित खसरो की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय म पे”ा की, जिसके अनुसार प्रार्थीया के खेत में आने–जाने का वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जो खसरा नम्बर 955, 956 व 958 में से होकर मौके पर है। प्रार्थीया ने खसरा नम्बर 954 की उतर–पि”चम मेड से रास्ते की मांग की है, जो प्रार्थीया द्वारा वांछित रास्ता सबसे नजदीक रास्ता है जो मौके पर खसरा संख्या 955, 956, 958 में [illegible]र मौजूद रास्ता है। दोनो रास्ते (वांछित व मौके पर मौजूद) प्रार्थीया के खेत [illegible] दूरी पर है। अप्रार्थी द्वारा वांछित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:27 IST
Reason: SelfAttested

रास्ते की भूमि पर वर्तमान में कांटो की बाड़ बनाकर व लोहे की चदर बनाकर प”Jओं का बाड़ा बना हुआ है। प्रार्थीया द्वारा वांछित रास्ते की भूमि का रकबा खसरा नम्बर 954 में से 08 बिस्वा भूमि मौका फर्द के अनुसार बनती है। वांछित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर की दुगुनी रा”ि का विवरण निम्न प्रपत्र में प्रस्तावित है :–

क्रस	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा बीघा में	डी.एल. सी. दर प्रति बीघा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत
1.	भेराराम पुत्र मंगाराम	954	2.8477	0.08.00	17010	13608
कुल योग						32359

उपरोक्त प्रपत्र में द”ाये अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 954 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है, जिसे नक”ाा नकल में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से द”ााया जाकर संलग्न किया गया।

प्रार्थीया की ओर से अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर आपति पे”ा की, जिसक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी लाम्बा व भू अभिलेख निरीक्षक भावी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत व सांठ गांठ कर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 959 में का”त कार्य हेतु आने जाने का वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 955, 956 व 958 में से होकर मौके पर होना बताया, जबकि उपरोक्त तीनों खसरान की भूमि का किसी प्रकार का हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में रास्ते के रूप में दर्ज नही है अपितु उपरोक्त तीनों खसरान की भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज खातेदारान के नाम से दर्ज है, तथा उपरोक्त तीनों भूमि की किस्म बारानी द्वितीय है, जिस पर उक्त तीनों खसरान की भूमि के दर्ज खातेदारों द्वारा का”त की जाती है। हल्का पटवारी ग्राम लाम्बा व भू अभिलेख निरीक्षक भावी द्वारा भी उपरोक्त तीनों खसरान की भूमि की जमाबन्दी मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न कर पे”ा की है। जिसमें रास्ता दर्ज नही है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तीनों खसरान की भूमि वैकल्पिक रास्ते की परिभाषा में नही आती है तथा खसरा नम्बर 955 की दक्षिणी माठ पर इस खसरे के खातेदारान द्वारा पक्के कमरे का निर्माण किया हुआ है, जिसका रंगीन फोटो आपति के साथ पे”ा है। जिससे स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 955 के दक्षिणी माठ के सहारे–सहारे मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तथा न ही खसरा संख्या 955 की दक्षिणी माठ के सहारे–सहारे होकर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि में का”त कार्य हेतु आना–जान हो सकता है। हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वांछित रास्ता पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा काटों की बाड़ बनाकर व लोहे का चदर लगाकर प”Jओं का बाड़ा बना हुआ होना बताया जो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पे”ा किये जाने के बाद प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 954 में से वांछित रास्ता प्राप्त करने में [illegible] हो सके इसी दुरा”ाय से कच्चा प”Jओं का बाड़ा बनाया जो वर्तमान में नही है। [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा हल्का पटवारी व भू अभिलेख

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:27 IST
Reason: SelfAttested

निरीक्षक भावी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करने के बाद में हटा दिया गया। प्रार्थीया द्वारा जब अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वांछित रास्ते पर कच्चा बाड़ा बना रही थी तो उस समय उसे रोकने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र भी पे"ा किया था। अन्त में प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थीया का आपति प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आपति प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं कों ध्यान में रखकर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान का"तकारी अधिनियम 1955 का निस्तारण किया जावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थीया अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। मौका कमी"नर रिपोर्ट दिनांक 03.02.2021 के साथ संलग्न नजरी नक"ा में द"ार्या गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीया को दिलवाया जावे ताकि प्रार्थीया अपने खेत में पहुचकर खेती कर सके। प्रार्थीया उक्त रास्ते की मुआवजा की रा"ा अप्रार्थी संख्या 1 को अदा करने को तैयार है। प्रार्थीया द्वारा खसरा नम्बर 954 में से चाहे गये वांछित रास्ता पर वर्तमान में कोई कच्चा व पक्का निर्माण नही है। खसरा नम्बर 955 की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। खसरा नम्बर 955 की दक्षिणी माठ पर पक्के कमरे का निर्माण हो रखा है। ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 955 की दक्षिणी माठ के सहारे–सहारे होकर प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 959 में का"त कार्य हेतु आना–जान संभव नही है। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 959 में आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 958 व 960 में से मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उभय पक्षकारान के अधिवक्ता व सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित प्रार्थीया की भूमि खसरा नम्बर 959 रकबा 1.0517 हैक्टेयर में प्रार्थीया को का"तकार्य करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 954 रकबा 2.8477 हैक्टेयर के मार्क ए. बी.सी.डी.ई.एफ. भाग से होकर ही रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 959 में पहुचता है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी प्रार्थीया द्वारा वांछित रास्ता को सबसे नजदीकी रास्ता होना बताया है जिससे भी स्पष्ट है कि वांछित रास्ता सबसे नजदीक रास्ता है। जहा तक अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में खसरा नम्बर 955, 956 व 958 में मौके पर वैकल्पिक रास्ता होना बताया है, जबकि उपरोक्त तीनों खसरान की भूमि की जमाबन्दीया जो अप्रार्थी संख्या 3 तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ पे"ा की है, उनके अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त तीनों खसरान की भूमि दर्ज खातेदारान के नाम से खातेदारी के [illegible] दर्ज है तथा किस्म बारानी द्वितीय है। इस कारण उपरोक्त तीनों खसरान की भूमि वैकल्पिक [illegible] परिभाषा में नही आती है इसके अलावा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आपति प्रार्थना पत्र के साथ [illegible] फोटो ग्राफ के अनुसार खसरा नम्बर 955

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:27 IST
Reason: SelfAttested

की दक्षिणी माठ पर पक्के कमरे का निर्माण हो रखा है। जिससे भी स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 955, 956 व 958 में से होकर प्रार्थीया को अपने खेत खसरा नम्बर 959 में का"त कार्य हेतु आना–जान नही हो सकता है। प्रार्थीया को अपनी भूमि खसरा नम्बर 959 में का"त कार्य करने का पूरा हक व अधिकार है, अगर का"त कार्य नही किया जायेगा तो उसका जीवन निर्वाह चलेगा नही। इस कारण प्रार्थीया को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आव"यकता है, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक भावी के द्वारा मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 03.02.2021 एवं उसके साथ पे"ा किया गया संलग्न नजरी नक्शा में खसरा नम्बर 954 में द"ााये प्रस्तावित रास्ता रकबा 8 बिस्वा को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है एवं उक्त रास्ते की भूमि के सम्बंध में प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी रा"ि जरिये चैक से अदा कर इस न्यायालय में प्रति पे"ा करे। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा रा"ि जरिये चैक प्राप्त नही किये जाने की द"ाा में प्रार्थीया तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष जरिये चालान रा"ि राजकोष में जमा करावे। भू अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक"ाा दिनांक 03.02.2021 को इस आदे"ा का अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा आदे"ा माफिक राजस्व रेकर्ड में रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एव मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक"ाा (मय तरमीम) के साथ पे"ा करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:27 IST
Reason: SelfAttested